न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रा[illegible]

प्रकरण : संख्या - 126/2023 [illegible] शीर्षक [illegible] बनाम [illegible] स[illegible]

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	पक्षकार बनाया जाना सुनिश्चित करे।
	प्रा० वाक्ते बनाए जाने
	पक्षकार समस्त पडौसी. दि. 25.11.24 को पेश हो।
	[signature]
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द
25.11.24	पत्रा० पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० वि० क्र० 1 व 2 अनु० पत्रावली वास्ते जवाब वि० क्र० 1 व 2 हेतु दि० 10.01.25 को पेश हो।
	[signature]
10-1-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधि-वक्ता उपस्थित। प्रकरण विपक्षी संख्या-1 व 2 की तामील होकर बाद तामील सम्मन प्राप्त होकर पत्रावली संलग्न है पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है पेशी दिनांक 27/10/23 से पूर्व ही विपक्षीगण को सम्मन तामील हो चुके हैं किन्तु विपक्षीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में विपक्षी संख्या-1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सभी पक्षकारों (पडौसी खातेदारों) को पक्षकार बनाने हेतु आदेशित किया जाने के बावजूद किसी भी अन्य पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाने हेतु अधि० प्रार्थी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय में पूछने पर अधि०

Scanned with ACE Scanner

राज्य सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

पत्रावली सं.- 126/2023 प्रा.प. शीर्षक दशरथ कुंवर बनाम सुरासिंह

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि उनका विपक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी पड़ोसी खातेदार से कोई विवाद नहीं है जिससे वे अन्य किसी भी पड़ोसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाना चाहते है।	
प्रार्थीगण द्वारा अन्य किसी भी पड़ोसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहे जाने से एवं विपक्षी संख्या-1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से अब अन्य पड़ोसी खातेदारों के कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा की जानकारी प्राप्त करने/सीमा पर निशानात अथवा चिन्हों का अंकन कराने/पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकार है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।	
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजसमन्द को मौका कमिश्नर शुल्क राशि 2500/- रूपये (अक्षरे दो हजार पान्च सौ रूपये मात्र) पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपरड़ा, प.ह. पीपरड़ा, तहसील राजसमन्द की आराजी नम्बर 1721, 1724, 1726 की पत्थरगढ़ी/निशानदेही मौके पर सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचित कराते हुए, कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना	

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

प्रकरण : संख्या - 126/2023 प्रा०वि शीर्षक दशरथकुमार .... बनाम सरकार

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	करावें एवं बाद पालना, पालना रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार राजसमन्द को पालनार्थ तेहरिर जारी हो।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।
	(हस्ताक्षर)